परिशिष्ट - "अ"

[29/7/2022]

प्रश्न सं. [क. 423]

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

पंजी क्रमांक 2437/2022/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 29.07.2022

प्रति,

कलेक्टर,
कटनी (म0प्र0)

विषय-: तहसील मुख्यालय, बहोरीबंद में व्यवहार न्यायालय संचालन के संबंध में ।
संदर्भ:- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/2897, दिनांक 25-06-2022

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के इस विभाग में प्राप्त ज्ञापन दिनांक 25-06-2022 के द्वारा लेख किया गया है कि तहसील मुख्यालय, बहोरीबंद में व्यवहार न्यायालय संचालन हेतु जनपद पंचायत बहोरीबंद के आधिपत्य का बी.आर.जी.एफ. शासकीय भवन उपयुक्त ना होने के बावजूद पुनः आवंटित किया गया है, साथ ही न्यायिक अधिकारी के निवास हेतु प्रस्तावित आवासगृह अत्यंत पुराना होकर न्यायाधीश के निवास हेतु उपयुक्त नहीं है । अतः सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु तात्कालिक व्यवस्था के लिये उपयुक्त न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारी के निवास हेतु उपयुक्त आवासीय भवन उपलब्ध कराने के संबंध में इस विभाग को निर्देशित किया गया है।

अतः प्राप्त ज्ञापन की छाया प्रति सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु तात्कालिक व्यवस्था के लिये उपयुक्त न्यायालय भवन एवं न्यायिक अधिकारी के निवास हेतु उपयुक्त आवासीय भवन आवंटित कराने के संबंध में समुचित आवश्यक कार्यवाही तत्काल किये जाने के लिये आपकी ओर सलंग्न प्रेषित है, साथ ही निर्देशानुसार लेख है कि तदनुसार प्रकरण में की गयी कार्यवाही से इस विभाग को अविलंब अवगत कराये जाने का कष्ट करें, ताकि तत्संबंध में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके ।

सलंग्न उपरोक्तानुसार

(बी0के0 द्विवेदी)
29/7/22
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

पंजी क्रमांक 2437/2022/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 29.07.2022

प्रतिलिपि,

रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर संदर्भित ज्ञापन के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(बी0के0 द्विवेदी)
29/7/22
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

परिशिष्ट - "ब"

स्पीड पोस्ट

आजादी का अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय

कमांक 2018/2022/एफ–914/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 15.06.2022

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– न्यायिक जिला स्थापना कटनी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के न्यायालयों हेतु प्रशासकीय/कार्यालयीन स्टॉफ के अंतर्गत आवश्यक पदों का सृजन किए जाने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक बी/7149/III-19-21/57 (Katni) दि. 22.11.2021।

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को वित्त विभाग प्रेषित किए जाने पर वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. कमांक 543/आर–644/2022/ब–8/चार दिनांक 10.06.2022 के माध्यम से निम्नानुसार अभिमत व्यक्त किया गया है :–

"विधि विभाग द्वारा न्यायिक जिला स्थापना कटनी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के न्यायालयों हेतु प्रशासकीय/कार्यालयीन स्टॉफ के अंतर्गत आवश्यक पदों के सृजन हेतु मंत्रिपरिषद संक्षेपिका प्राप्त हुई है। मंत्रिपरिषद संक्षेपिका पर वित्त विभाग द्वारा मत नही दिया जा रहा है। मत स्थिर करने हेतु "अभिलेख, तथ्य या संशोधन प्रेषित करने का अनुरोध है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर मंत्रिपरिषद संक्षेपिका पर अंतिम मत व्यक्त किया जा सकेगा।" वांछित जानकारी निम्नानुसार है :–

1. **शासन द्वारा जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय के लिए स्टॉफ स्वीकृति हेतु क्या मापदंड निर्धारित है।**

2. **विभाग में पूर्व से स्वीकृत स्टॉफ की क्या स्थिति है? अर्थात् स्वीकृत पदों की संख्या, भरे हुए पद एवं रिक्त पदो की क्या स्थिति है।"**

अतः मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अभिमत अनुसार जानकारी प्रेषित किए जाने का अनुरोध है।

14/6

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग